बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–: : आदेश : :–

आदेश सं०–27/आरोप–01–41/2025–सा0प्र0..................पटना–15, दिनांक.................

मो0 राशिद आलम, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 118/24, तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के विरूद्ध राज्य सूचना आयोग के ज्ञापांक–2292 दिनांक–27.11.2020 द्वारा आयोग में दायर शिकायत वाद संख्या– A8618/2018 श्री चन्द्रवेली पासवान (चन्द्रबली पासवान) बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी में दिनांक–10.11.2020 को पारित आदेश के आलोक में आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने में हुए 03 वर्ष 05 माह के विलम्ब के लिए विभागीय पत्रांक–20557 दिनांक–03.11.2025 द्वारा मो0 आलम से स्पष्टीकरण/बचाव अभिकथन समर्पित करने का अनुरोध किया गया।

स्मारोपरांत समाहरणालय पटना जिला पंचायत राज शाखा के पत्रांक–255 दिनांक–21.01.2026 के माध्यम से मो0 आलम द्वारा अपना स्पष्टीकरण/बचाव अभिकथन इस विभाग को समर्पित किया गया जिसमें उनका कहना है कि जिला सामान्य प्रशाखा, सीतामढ़ी के ज्ञापांक–794 दिनांक–26.07.2017 एवं ज्ञापांक–1086 दिनांक–30.10.2017 द्वारा ससमय आवेदक श्री चंद्रबली पासवान को साधारण डाक के माध्यम से वांछित सूचना उपलब्ध करा दिया गया था।

मो0 राशिद आलम द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण/बचाव अभिकथन की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा किया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि आवेदक द्वारा दिनांक–15.05.2017 को सूचना मांगी गयी थी, जो मो0 आलम द्वारा दिनांक–26.07.2017 को सूचना उपलब्ध करायी गयी। सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार आवेदक को 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध करायी जानी है, किन्तु मो0 आलम द्वारा निर्धारित समय–सीमा के 40 दिनों के बाद आवेदक को सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा मो0 आलम को **"भविष्य में सचेत रहने के निदेश"** के साथ इस आरोप प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया।

अतएव सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार मो0 राशिद आलम, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 118/24, तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को **"भविष्य में सचेत रहने के निदेश"** के साथ इस आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

ह०/–
(शालिग्राम पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव।

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–27/आरोप–01–41/2025–सा0प्र0 2749 पटना–15, दिनांक 9.2.26

प्रतिलिपिः– राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/मो0 राशिद आलम, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 118/24, तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी सम्प्रति जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12 एवं 14, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09.02.26

सरकार के अवर सचिव।